ADM सीकर

सुरेश कुमार बनाम आनाराम

मु.नं. 04/2019

	वकील उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने स्थगन प्रा.पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की स्थगन प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस चन्द दस्तावेज पेश किया जो शामिल रहे। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दि. 03/09/19 को पेश हो।
3/9/19	वकील उभयपक्ष उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। वास्ते आदेश हेतु दि. 12/9/19 को पेश होवे।
12/9/19	वकील उभयपक्ष उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। वास्ते आदेश हेतु दि. 17/9/19 को पेश हो।
17/9/19	वकील उभयपक्ष उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। वास्ते आदेश हेतु दि. 18/9/19 को पेश होवे।
18/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दि. 6/2/19 को न्यायालय तहसीलदार सीकर (वर्तमान तह. धोद) द्वारा दिनांक 3/12/2010 को तस्दीक नामांतकरण संख्या 639 वाके ग्राम [illegible] संबंधी भूमि/ आराजी के संबंध में रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया हुआ है प्रकरण के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी सगे भाई है जिसका

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

P.T.O.

तहसीलदार सीकर के समक्ष दि. 31/12/2010 को विधिवत रूप से सहमति विभाजन हुआ एवं उक्त सहमति विभाजन के आधार पर उक्त नामांतकरण तस्दीक किया गया है प्रार्थी व अप्रार्थी तब से ही अपने-2 हिस्से में काबिज चले आ रहे है तहसीलदार के समक्ष सहमति विभाजन के आधार पर विधिवत रूप से तस्दीक नामांतकरण अपीलील नहीं है। अपील का प्रभाव जिस डिक्री या आदेश की अपील की गयी है उसके अधीन कार्यवाहीओ को रोकना नही होगा। जिस आदेश की अपील की गयी है उसकी क्रियान्विति स्थगित की जा सकती है। अतः उक्त स्थगन आदेश विधि विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया कि स्थगन प्रार्थना-पत्र से सम्बंधित मूल अपील सहमति विभाजन के आधार पर तस्दीक किये गये नामांतकरण के विरुद्ध पेश हुई है सहमति विभाजन के आधार पर तस्दीक नामांतकरण के संबंध में निस्तारण मूल अपील के माध्यम से किया जाता है सहमति विभाजन के आधार पर तस्दीक किये गये नामांतकरण के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा दि. 06/2/19 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा का इतने लम्बे समय तक प्रभावी रहना न्यायोचित प्रतीत नही होता है साथ ही सहमति विभाजन के आधार पर तस्दीक अपीलाधीन नामांतकरण के संबंध में निस्तारण की कार्यवाही गुणावगुण के आधार पर मूल अपील के माध्यम से की जानी है अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर स्थगन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत स्थगन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल मूल अपील के संलग्न रहे।

अति. जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official